पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०–41 / 2003 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

मो० गुलाम हैदर के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह के पदस्थापन काल में घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता बरतने के लिए विभागीय संकल्प सं०–2364 दिनांक–02.07.2009 के द्वारा उनके विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. मो० हैदर के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में निम्नलिखित आरोप गठित किया गया :–

लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरीडीह के पदस्थापन काल के दौरान पुराना बाँध आहर मध्यम सिंचाई योजना में उनके द्वारा बरती गयी निम्नलिखित अनियमितताएँ तथा रू० 3.15 लाख का गबन का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है :–

(i) मापी पुस्तिका की प्रविष्टि में अनियमितता।

(ii) स्ट्रिपिंग एवं डैमफिल का कार्य एक ही तिथि को सम्पन्न करना जो कि असंभव है।

(iii) कार्य की मापी की जाँच नहीं करना।

(iv) अवधि विस्तार हेतु 10 प्रतिशत की राशि की कटौती नहीं किया गया।

(v) आवंटन की संचिका अपने पास रख लिया जाना।

(vi) दायित्व निर्धारण समिति की अनुशंसा प्राप्त किये बिना भुगतान।

(vii) कार्य की गणना गलत कर अधिक भुगतान किया जाना।

(viii) पुराने डैम में तीन चार वर्ष पूर्व रेनकट को कार्य मात्र कराया जाना।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में मो० हैदर के विरूद्ध उक्त आरोपों की कंडिका (iii), (iv), (vii) एवं (viii) में वर्णित आरोप प्रमाणित पाये गये।

4. सम्यक् समीक्षोपरान्त मो० हैदर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नलिखित दण्ड विभागीय आदेश ज्ञापांक– 3184 दिनांक– 09.10.2010 द्वारा संसूचित किया गया :–

(i) चार वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक

(ii) प्रोन्नति देय होने पर 4 (चार) वर्षों तक उस पर विचार नहीं किया जाना।

(iii) इन्हें तत्काल तीन वर्ष तक अकार्य कोर्ट (Non-category) का पद दिया जाना।

5. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध मो० हैदर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए अपील आवेदन विभाग में समर्पित किया गया। उक्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई।

6. सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि मो० हैदर द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है बल्कि उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो संसूचित दण्ड के पूर्व उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने बचाव बयान में दिये गये हैं। अतएव् मो० हैदर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उपरोक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

sd/-

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3991 राँची/दिनांक 08-08-16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह/उप सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), जल संसाधन विभाग, राँची/श्री गुलाम हैदर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत, 301/B, Royal Court Apartment near passport sewa kendra Ashiyana Road (Bihar)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay 05/08/2016

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव